




भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (1)
PART II—Section 3—Sub-section (1)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY



सं. 138]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 23, 1988/चैत्र 3, 1910

No. 138]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 23, 1988/CHAITRA 3, 1910

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय

(पत्तन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 मार्च, 1988

सा.का.नि. 369(अ) :—सा.का.नि. 530(ई) दिनांक 17 मार्च, 1988 द्वारा जारी इस मंत्रालय की अधिसूचना के पैरा 2 में आंशिक संशोधन करते हुए, और महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 12(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा गांधी धाम वाणिज्य एवं उद्योग मण्डल द्वारा काडला पत्तन के न्यासी बोर्ड में अपने प्रतिनिधि का चुनाव करने के लिए कराए जाने वाले चुनाव की अवधि 24 मार्च, 1988 तक बढ़ाती है।

[फा.सं. पी. टी.-18011-5/87-पी. टी. (ii)]

बी. आर. चह्माण, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT**(Ports Wing)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 23rd March, 1988

G. S. R. 369 (E).—In partial modification of para 2 of this Ministry's Notification issued vide GSR No. 530 (E), dated 17th March, 1988 and in exercise of the powers conferred by section 12 (1) of the Major Port Trust Act, 1963 the Central Government hereby extends time upto 24th March, 1988 for election to be conducted by Gandhidham Chamber of Commerce and Industry, Gandhidham for electing their representative on the Board of Trustees of the Port of Kandla.

[F. No. PT-18011-5/87-PT-(ii)]

B. R. CHAVAN, Jt. Secy.